न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 57/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता
एफबीओ मैसर्सः— भाई एन्टर प्राइजेज गांधी तिराहा दौसा निवासी मोटा पान की गली रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने गांधी तिराहा दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51 एफएसएस रूल्स 2011
उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 21.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूर्जर ने दिनांक 29.06.2023 को 12:11 पीएम पर मैसर्सः— भाई ट्रेडर्स गांधी तिराहा रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने दौसा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता उपस्थित मिला। जिसको अपना परिचय दिया तथा परिचय पूछने पर श्री रवि गुप्ता ने स्वयं को मैसर्सः— भाई ट्रेडर्स गांधी तिराहा रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया। निरीक्षण के समय फर्म पर अन्य खाद्य पदार्थो के साथ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** मूल पैक दुकान की रैक में 225—225 ग्राम के 20 पैकेट रखे हुये थे। जिसका निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री रवि गुप्ता को नियमानुसार फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री रवि गुप्ता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की रैक में रखे 20 मूल पैक पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** 225—225 ग्राम में से 8 पैकेट ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री रवि गुप्ता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 1888/—(अक्षरे एक हजार आठ सौ अठ्यासी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** को विक्रेता श्री रवि गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर 225—225 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मापक मशीन से तुलवाकर अलग—अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक डिब्बों में 2—2 मूल पैक प्रत्येक 225—225 ग्राम रखकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों [illegible] तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम [illegible] डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG—3587** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री रवि गुप्ता तथा [illegible] के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों न[illegible] भागों को अलग—अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG—3587** को नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:03:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री रवि गुप्ता मालिक मैसर्स भाई ट्रेडर्स गांधी तिराहा रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने जिला दौसा ने बतौर वारण्टी कोई खरीद बिल नहीं उपलब्ध करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 03.07.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 03.07.203 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का नमूना की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1166/एक्ट/2023/1188 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार विक्रेता श्री रवि गुप्ता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गये खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1166/एक्ट/2023/1188 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का नमूने की जांच रिपोर्ट में **Total ash % by weight** 8.26 प्रतिशत पाया गया है जो कि अधिकतम 8.0 प्रतिशत होना चाहिये था। **Total ash contents** अधिक पाये जाने के कारण पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का सिर्फ विक्रय किया है। हम उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं है। हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ पैक खरीदकर पैक ही ग्राहको को विक्रय किया जाता है। हमारी ओर से इसमें कोई मिलावट नहीं की जाती है। कम्पनी द्वारा हमे उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भविष्य में हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ जरिये बिल खरीद कर ही ग्राहको को विक्रय किया जायेगा। भविष्य में हमारे द्वारा ऐसी गलती नहीं की जायेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या : 57/2023 FSSA</u>

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट एल. एस./1166/एक्ट/2023/1188 दिनांक 14.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ पान मसाला राज श्री ब्राण्ड **(Pan Masala Raj Shree Brand)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– भाई एन्टर प्राइजेज गांधी तिराहा दौसा निवासी मोटा पान की गली रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने गांधी तिराहा दौसा पर 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 21.02.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– 21.02.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. रवि गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– भाई एन्टर प्राइजेज गांधी तिराहा दौसा निवासी मोटा पान की गली रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने गांधी तिराहा दौसा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:03:49 IST
Reason: SelfAttested